

निमित्त,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त, राजस्थान, जयपुर।
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.), राजस्थान, जयपुर।
 अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राज., जयपुर।
 परियोजना निदेशक, राज. वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना-II, राज., जयपुर।
 अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एनटीएफपी, राजस्थान, जयपुर।
 मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/उदयपुर/अजमेर/भरतपुर।
 मुख्य वन संरक्षक, व० जी०, जयपुर/जोधपुर/मुकन्दरा, कोटा/उदयपुर/वन वर्धन, जयपुर।
 मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य/बनास नदी परि०, जयपुर/परि०, भू-सं०, वन, कोटा।
 मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर।
 निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान, राज०, जयपुर।
 वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, बाघ परियोजना, सरिस्का मुख्यालय अलवर।
 वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज., जयपुर।

विषय:-बजट अनुमान वर्ष 2022-2023 के लिए आय-व्ययक अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए संशोधित अनुमान।

प्रसंग:-वित्त विभाग का बजट परिपत्र क्रमांक एफ. 4(48)वित्त-1(1)आ.व्यय/2021 दिनांक 06.09.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के प्रासंगिक बजट परिपत्र का अवलोकन करें। उक्त बजट परिपत्र में दिये गये निर्देशानुसार सूचना तत्काल ऑनलाइन करते हुए हॉर्ड-कापी में सूचनाएं भिजवाना सुनिश्चित करें।

अतः राज्य सरकार से प्राप्त के निर्देशानुसार निम्न संलग्न प्रपत्र अनुसार आपके संभाग से संबंधित संकलित सूचना तैयार की जाकर ऑनलाइन (IFMS) कराते हुए इस कार्यालय की ई-मेल dcfta.hoff.forest@rajasthan.gov.in पर 07 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करावे ताकि विभाग की संकलित सूचना ऑनलाइन (IFMS) की जाकर राज्य सरकार को समय पर भिजवाई जा सके:-

1	प्रपत्र-2	विभाग के लिए स्वीकृत टेलीफोन तथा मोबाईल का विवरण
2	प्रपत्र-4 (अ)	विभाग में उपलब्ध वाहनों सूची
3	प्रपत्र-4 (ब)	विभाग द्वारा किराए पर लिए गए वाहनों की सूची

संलग्न: उक्तानुसार

भवदीय,

(एस.के. दुबे)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
 राजस्थान, जयपुर

दिनांक 09.2021

क्रमांक: प.24(01)2021-22/BFC/तक./प्रमुवसं/

प्रतिलिपि समस्त उप वन संरक्षकगणों को प्रेषित कर लेख है कि वांछित सूचना उक्त निर्धारित प्रपत्र 02 व 4(अ) तथा 4(ब) में इस कार्यालय की ई-मेल dcfta.hoff.forest@rajasthan.gov.in पर आवश्यकरूप से 07 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न: उक्तानुसार

(अजय चित्तोडा)

वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक,
 प्र.मु.व.सं. (हॉफ), राजस्थान, जयपुर